'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

प्रकाशन तिथि–31 मार्च, 2013

DL(ND)-11/6144/2013-14-15

R.N.I. No. 68180/98

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 16 ● अंक 9 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 16 से 31 मार्च, 2013

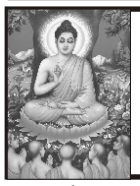

असत्य बोलने से दूर रहें।

-गौतम बुद्ध

नेशनल एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स एंड यूथ फ्रंट (एनएसओएसवायएफ) का जन्म

डॉ. उदित राज

15 प्रतिशत समाज अर्थात् ब्राह्मण, राजपूत एवं वैश्य के छात्र एवं नौजवान दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ का मामला हो या बलात्कार के खिलाफ संघर्ष करने की, कोहराम मचाकर के रख देते हैं। ऐसा क्यों नहीं दलित, आदिवासी, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक एवं प्रगतिशील समाज के लोग अपने मान–सम्मान एवं अधिकारों की लड़ाई को लेकर के कभी बड़ा आंदोलन करते हैं। जगह–जगह पर इन वर्गों के छात्र एवं नौजवान अपने स्तर पर संगठन बनाकर कार्य तो कर रहे हैं लेकिन उसका असर दिखाई नहीं पड़ रहा है और ना होने वाला है। इसका मुख्य वजह यह है कि कोई राष्ट्रीय नेता और आंदोलन से ये जोड़ नहीं सके। डॉ. उदित राज के नेतृत्व में अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ पूरे देश में गत् 15 सालों से ना केवल अपनी मजबूती से उपस्थिति दर्ज करा रखी है बल्कि मात्र एक यही संगठन है जो हर ज्वलंत मुद्दे के ऊपर मैदान–ए–जंग उतरता है। इस संगठन की स्थिति वैसी है जैसे किसी राजनीतिक दल का स्थायित्व हो। एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र यदि परिसंघ से जुड़ते हैं तो उनका स्थायी प्रमुख संगठन परिसंघ हमेशा ना केवल सलाह और ज्ञान देता रहेगा बल्कि हर लड़ाई में साथ देगा। निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए परिसंघ ने ही आंदोलन शुरू किया जिसका सीधा लाभ छात्रों और नौजवानों को ही मिलना है ना कि परिसंघ के पदाधिकारियों को। परिसंघ के आंदोलन से ही संविधान में तीन संविधान संशोधन हुआ था और आरक्षण बचा था जिसका लाभ तब से लाखों नौजवान एवं छात्र ले चुके हैं। मान लिया जाए कि छात्र एवं नौजवान अपने स्तर पर स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में सुविधाओं एवं अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं तो क्या इससे उनके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा? क्या मां–बाप के सपनों को वे पूरा कर सकेंगे? सरकारी नौकरियां समाप्त हो रही है और ऐसे में निजी क्षेत्र में आरक्षण मिलने से ही बहुसंख्यक छात्रों और नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। इस समय सबसे ज्यादा रोजगार का अवसर निजी क्षेत्र में पैदा हो गए हैं। छात्रों एवं नौजवानों का सपना नेशनल एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स एंड यूथ फ्रंट (एनएसओएसवायएफ) पूरा करेगा। सन् 2013–14 में इस संगठन के माध्यम से 1 लाख छात्र एवं नौजवान संगठित किए जाएंगे।

1 लाख छात्र एवं नौजवानों को संगठित करने का लक्ष्य

छात्र एवं नौजवानों को अभी तक सही दिशा दी नहीं गयी है। उनकी ज्यादा से ज्यादा संघर्ष स्कूल और कॉलेज के प्रांगण तक छात्रवृत्ति, प्रवेश, छात्रावास आदि तक की ही रहती है। चूंकि ये किसी राष्ट्रीय संगठन से नहीं जुड़े हैं इसलिए इन अधिकारों को भी हासिल नहीं कर पाते। छात्रवृत्ति, छात्रावास की सुविधा एवं तमाम समस्याओं के होने के बावजूद भी छात्र अपना सपना पूरा कर सकता है अर्थात् नौकरी जो उसका मुख्य लक्ष्य होता है। इसलिए इनकी सक्रियता प्रांगणों में चाहे कम रहे लेकिन एनएसओएसवायएफ

NSOSYF

से जोड़ना ही मकसद होना चाहिए। क्यों नहीं एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र अन्ना हजारे एवं केजरीवाल के द्वारा संगठित छात्रों एवं नौजवानों से कई गुणा ताकतवर संगठन बनाकर संघर्ष करते हैं। कुछ छात्रों व नौजवानों को भ्रम है कि वे अपने संस्था में संघर्ष करके बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल कर रहे हैं जबकि यह अधूरा सच है। चाहे ज्ञान हो या संघर्ष यह तभी समाज को लाभांवित कर सकता है और रोजगार के लिए संघर्ष जब इनका भी संगठन एसएफआई, एआईएसएफ, एबीवीपी एंड एसयूआई जैसा हो। कांग्रेस का छात्र मोर्चा एनएसयूआई है और एबीवीपी भाजपा का तो उसी तरीके से एनएसओएसवायएफ परिसंघ का है। इसे मदर ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। नौजवान एवं छात्र स्कूल कॉलेज से निकलकर के जिस क्षेत्र में भी जाएगा उसको पहले से बना हुआ परिसंघ का प्लेटफॉर्म मिलेगा जैसे एनएसयूआई को कांग्रेस। कुछ छात्र एवं नौजवान स्कूल एवं विश्वविद्यालय में तमाम तरह के ज्ञान एवं विचारधारा से ओतप्रोत हैं लेकिन उनको समाज से जोड़ने वाला कोई मदर संगठन नहीं है और ऐसी स्थिति में परिसंघ के माध्यम से समाज को भी दिशा देने में सक्षम हो जाएंगे। किसी एक विश्वविद्यालय में यदि एससी, एसटी, ओबीसी के साथ अन्याय होता है तो वह एनएसओएसवायएफ के ताकत का लाभ लेते हुए समस्या का समाधान जल्दी कर सकता है। छात्र–नौजवान बुद्धि विलासिता से भी छुटकारा पाकर के देश में पूरे समाज को अपने ज्ञान और अनुभव बांटेंगे। इससे इन वर्गों से पढ़े–लिखे राजनीतिज्ञ भी तैयार होंगे। वर्तमान में ज्यादातर एससी, एसटी, ओबीसी के नेता पैर छूने वाले और चमचा पैदा हो रहे हैं क्यों कि सवर्णों की तरह इनका कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं है जिससे सामाजिक और राजनीतिक ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने का प्रशिक्षण मिले। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज की युवा पीढ़ी को संगठित करने का कार्य सबसे ज्यादा जरूरी है जो अब एनएसओएसवायएफ के द्वारा किया जाएगा।

कुछ लोग तमाम प्रतियोगिता के लिए कोचिंग इंस्टिट्यूट आदि चलाकर के समझ रखते हैं कि बुद्धि एवं ज्ञान विकास से नौजवानों एवं छात्रों का कल्याण हो जाएगा लेकिन यह अधूरा सच है। दलित, आदिवासी एवं ओबीसी अब ज्यादे पढ़े–लिखे नौजवान हैं और उस अनुपात में सरकारी नौकरियां बढ़ना चाहिए लेकिन घटी हैं। ऐसे में चाहे जितना प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर ली जाए तो ज्यादा से ज्यादा 4–5 प्रतिशत लोग ही आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क, सिपाही, स्टेनो आदि बन सकते हैं और बांकि को तो बेकार होना ही है। राष्ट्रीय स्तर पर कोई इन समाजों का संगठन है भी नहीं जो फूले, शाहू एवं डॉ. अम्बेडकर के विचारों का हो और वह प्रयोगशाला बन सके कि यदि सभी छात्र प्रतियोगिता में सफल नहीं होते तो और भी क्षेत्र के लिए तैयार किया जाए चाहे वह सामजिक नेतृत्व हो या राजनीतिक। निजी क्षेत्र में रोजगार का सृजन बढ़ गया है इसलिए वहां आरक्षण के बगैर ज्यादातर छात्रों की पढ़ाई–लिखाई बेकार हो रही है। हमारे समाज में व्यापार एवं औद्योगिक गतिविधियां करने का संस्कार नहीं है और परिसंघ ने तय कर लिया है कि राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में काफी कार्य हो चुका है और हो भी रहा है और अब शुरुआत करनी है आर्थिक क्षेत्र में। एनएसओएसवायएफ इस आंदोलन को चलाने में सहयोगी भूमिका अदा करेगी ताकि जो छात्र नौजवान नौकरी एवं राजनैतिक एवं सामाजिक नेतृत्व के क्षेत्र में सफल नहीं होते हैं तो व्यापार की दुनिया में कदम रखते हुए सपने पूरा करेंगे।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मांग है कि

आजादी के बाद का इतिहास रहा है कि जो भी विभिन्न राजनीतिक दलों के छात्र संगठन रहे हैं, उन्होंने कभी हमारी समस्याओं को लेकर के संघर्ष नहीं किया। यह सर्वविदित है कि ज्यादातर छात्र संगठनों पर मनुवादियों का ही कब्जा रहा है और है भी तो वे क्यों हमारी बात करेंगे। सवर्णों ने हजारों वर्ष से भेदभाव किया है और अभी वह जारी है तो ऐसे में हमारा निज का संगठन होना जरूरी है जो अभी तक हुआ नहीं है। कुछ सवर्ण छात्र भी प्रगतिशील एवं अंबेडकरवादी हैं तो उनके लिए हम दरवाजा बंद नहीं करेंगे।

1 लाख नौजवान और छात्रों की ताकत में जो जितना सहयोग देगा वह समाज का बहुत बड़ा कर्ज उतार सकेगा। हम सबके ऊपर समाज का कर्ज है और उसे उतारना चाहिए। जिसे भी यह सूचना मिले वह ज्यादा से ज्यादा छात्रों व नौजवानों को इस संदेश को देते हुए एनएसओएसवायएफ का सदस्य बनवाये। हर व्यक्ति का योगदान लिखा जाएगा कि किसने 1 लाख की संख्या को पूरा करने में कितना सहयोग दिया।

विनीत

हर्षवर्धन–07709975562, ईमेलः
h.dawane2013@gmail.com
आर. सी. बदोट (राज)
09829299092
ईमेलः
raj_udaipur84@rediffmail.com
नितीन गायकवाड
09028200358,ईमेल :
nitinvijayg@gmail.com
गणेश बाघमारे
09270055151

एम्स का भ्रष्टाचार एवं आरक्षण अवहेलना

गत् दिनों 19 मार्च, 2013 को नई दिल्ली में अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज ने कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान का प्रशासन लगातार आरक्षण विरोधी रवैया अपनाया हुआ है और बहुत दिन नहीं हुए जब 2006 में पिछड़े वर्ग के आरक्षण का विरोध का यहां केंद्र हो गया था जिसकी अगुवाई उस समय के डायरेक्टर डॉ. वेणुगोपाल ने की थी। उसके बाद भेदभाव की तमाम घटनाएं बाहर आने लगी और अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के द्वारा आत्महत्या का प्रकरण एवं छात्रावास में उनका अलगाव एवं बहिष्कार। कुछ डॉ. एवं प्रशासन के लोग लगातार आरक्षण विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। 50 प्रोफेसर के पद खाली हैं और इस पद को भरने के लिए निविदा सूचना नंबर 08/2012–(एफसी) दी गई। इसमें से 37 प्रोफेसर के पद सीधे भर्ती के द्वारा भरने हैं और यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण द्वारा बनाया गया रोस्टर प्रणाली से ही संभव हुआ। अभी तक रोस्टर यहां उचित रूप से कभी लागू नहीं किया गया। दुर्भाग्यवश इस भर्ती पर रोक लगा दी गयी क्योंकि फैकेल्टी एसोसिएशन आफ एम्स (फैम्स) ने इसका विरोध किया। फैम्स दुष्प्रचार कर रहा है कि इससे गुणवत्ता प्रभावित होगी। प्रधानमंत्री के एम्स के ही निजी चिकित्सकों ने अपने प्रभाव के द्वारा इस भर्ती पर रोक लगवा दी। इसके पहले कभी भी सीधे भर्ती का विरोध नहीं हुआ और अब इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें आरक्षित वर्ग के लोग भी शामिल हैं।

जब भी अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग के हितों पर चोट होती है तब इतनी जल्दी उसके निवारण के लिए कोई कमिटी नहीं बनती लेकिन आरक्षण रोकने के लिए फौरन प्रधानमंत्री कार्यालय एवं स्वास्थ्य मंत्रालय सक्रिय हुआ और स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति भी बन गई। फैम ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर के इस षड्यंत्र की शुरुआत की। इन 37 प्रोफेसर पदों में से 17 अनुसूचित जाति एवं पिछड़ों को जानी थी। इस सचिव की कमिटी में एक भी दलित, आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग का सदस्य नहीं है तो कैसे आशा की जा सकती है कि न्याय मिलेगा। हम मांग करते हैं कि इस कमिटी को तुरंत बर्खास्त किया जाए और सभी प्रोफेसर पदों की भर्ती हो। पहली बार इन वर्गों की सीधी भर्ती प्रोफेसर पदों पर हो रही है इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है।

डॉ. उदित राज ने आगे कहा कि एम्स पहले भी आरक्षण लागू नहीं करता था। एम्स ने एससी/एसटी आरक्षण के भर्ती का फैसला भारत सरकार के 1975 के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में लिया था लेकिन उसको निचले स्तर तक ही रखा जैसे लेक्चरर/एसिसटेंट प्रोफेसर। एम्स की गवर्निंग बॉडी ने 27 मई 1994 को पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का फैसला लिया फिर भी एम्स के प्रशासन ने ना ही निविदा दी और ना ही भर्ती बल्कि फैम को पूरा अवसर दिया कि वह हाईकोर्ट में जाए और दुर्भाग्यवश वहां से एकतरफा स्टेऑर्डर भी मिल गया। यह मुकदमा काफी अरसे तक चला और इस दौरान एम्स सैकड़ों फैकल्टी मेंबर एडहॉक बेसिस पर भर लिए जिसमें आरक्षण लागू नहीं हुआ। एम्स 10 मई 2002 को 164 एसिसटेंट प्रोफेसर पदों को एडहॉक पर भरने के लिए विज्ञापन निकाला और बिन्दू 9, 13 एवं 46 पर ही आरक्षण दिया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रोस्टर प्रणाली को नहीं माना गया। डॉ. उदित राज ने सूचित किया कि 200 प्वाइंट रोस्टर लागू करने के बजाय प्रत्येक स्तर पर एसिसटेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर पद पर विभागी एवं अलग–अलग विषय के पद को कैडर माना जबकि एम्स के सारे पोस्ट को एक कैडर मानना चाहिए था तभी आरक्षण पूरा लागू होता। षड्यंत्र यह किया गया कि 13 से कम ही पोस्ट विभिन्न विभागों को विज्ञापित की जाए ताकि रोस्टर में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े पद के बिन्दू कम से कम हों और 14वां बिन्दू से आरक्षित वर्ग को फायदा हो रहा था तो हर संभव कोशिश किया जा रहा था कि 13 पद तक ही निकाली जाएं। 131 एसिसटेंट प्रोफेसरों में से 12 अनुसूचित जाति को और 2 जनजाति को दी गयी और 17 एसोसिएट प्रोफेसर में से मात्र 1 पद अनुसूचित जाति को मिला। एक भी पद अनुसूचित जाति, जनजाति को एडिशनल प्रोफेसर के पद पर मिला जबकि भर्ती 9 की होनी थी और 30 प्रोफेसर पद में से केवल 2 अनुसूचित जाति को और जनजाति को एक भी पद नहीं दिया गया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में नियम के अनुसार कैडर का मतलब होता है कि एक तरह का पद चाहे विभिन्न विभागों में क्यों ना हो, सबका योग करके तब उसमें से आरक्षण दिया जाता है और पदों की गणना होती है। शुरू से ही जब भी आरक्षण पूरा नहीं होता था तो उन पदों को खाली नहीं रखा जाता था और ना ही अगले साल ले जाया जाता था। अतः कभी भी इस कमी को पूरा नहीं किया गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के खाली पद अलग से भरे जाते हैं और उनकी गणना 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा में नहीं की जाती है। किसी भी पद को अनारक्षित करने के लिए तीन बार विज्ञापित किया जाता है लेकिन यहां ऐसा नहीं किया जाता। एडहॉक भर्ती नियमित और कानूनी नहीं माना जाता और ऐसे लोगों को वरिष्ठता और पदोन्नति नहीं दिया जाना चाहिए लेकिन एम्स ने ऐसा किया। जो अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े उम्मीदवार सामान्य मेरिट में आते हैं उन्हें आरक्षण के पद पर समायोजित नहीं किया जाना चाहिए लेकिन यहां ऐसा होता रहा है। आश्चर्य की बात है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिर से कहा है कि एडहॉक पर भर्ती डॉक्टरों को प्रोन्नत किया जाए जो कि गैरकानूनी है। हाई पावर कमिटी जो स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में बनी है, वह फैम्स एवं एम्स के पक्ष को सुनने का मौका तो देती है लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के द्वारा बनाया गया संगठन– फोरम फार राइट्स एंड इक्वैलिटी को नहीं देता। 164 एडहॉक पर किए गए डॉक्टरों की भर्ती को नियमित ही नहीं किया गया बल्कि वरिष्ठता का लाभ भी दे दिया और मामला हाइकोर्ट में लंबित है। नियमानुसार यदि हाईकोर्ट का फैसला आता है तो इनका नियमन एवं वरिष्ठता अवैध घोषित होगी तो ऐसी परिस्थिति में कौन इनसे वरिष्ठता पाने के वजह से बढ़े हुए वेतन की वसूली करेगा?

ऑल इंडिया बैकवार्ड स्टूडेंट फोरम लगातार आरक्षण लागू करने की लड़ाई लड़ रहा है और भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी उठाने का कोशिश किया है। एम्स का प्रशासन भ्रष्टाचार में भी पीछे नहीं है। श्री विनीत चौधरी, जो डिप्टी डाइरेक्टर प्रशासन थे, के खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं लेकिन प्रशासन सही दिशा में जांच नहीं कर रहा है। इनका कार्यकाल 7 साल पूरा हो गया था फिर भी स्वास्थ्य मंत्री अड़े थे कि उनको एम्स में ही रखा जाए। नियमों एवं कानून को ताक पर रखते हुए इन्होंने 1000 करोड़ से ज्यादा निर्माण एवं मरम्मत में खर्च किया। स्वास्थ्य मंत्री का क्या निहितार्थ स्वार्थ था कि जब वे मंत्रालय एवं एम्स दोनों को मिलाकर 7 साल से ज्यादा रह चुके थे फिर भी रोकने का प्रयास किए। यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के नियम के विरूद्ध है। इनके खिलाफ सीवीसी में 5 भ्रष्टाचार के मामले लंबित है फिर भी इनका अतिरिक्त सचिव के पद पर इमपैनलमेंट हो गया। किसने अनुआपत्ति दी? झज्जर में एक और एम्स बन रहा है जहां पर लगभग 10 करोड़ का पोर्टेबल केबल बिछाया गया और जो बाद में स्थायी केबल के द्वारा विस्थापित होना ही है तो क्या यह आर्थिक अपराध नहीं है तो क्या है? इन्होंने झज्जर के आसपास में जमीन भी खरीदी। औसतन इन्होंने 150 किलोमीटर प्रति दिन सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया जबकि रिहाइश एम्स के प्रांगण में ही था। अपने कार्यालय के रखरखाव एवं मरम्मत में 20 लाख रूपए खर्च किए तो क्या यह आर्थिक अपराध नहीं है?इनके खिलाफ जांच तो चल रही है और हम मांग करते हैं कि इसमें तेजी और निष्पक्षता आए। उपरोक्त मामलों में डॉ. उदित राज ने एम्स के डायरेक्टर आर. सी. वेका से समय मांगा लेकिन उन्होंने मिलने से इंकार कर दिया।

अब जरुरत "नेशनल एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेन्ट्स एंड यूथ फ्रंट" की

हर्षवर्धन दवणे

दलित आदिवासी और पिछडे वर्ग के छात्रों और युवाओं का राष्ट्रीय संगठन हम बना रहे हैं। इस संगठन का नाम ''नेशनल एस.सी, एसटी, ओबीसी स्टूडेन्ट्स एंड यूथ फ्रंट'' (एनएसओएसवायएफ) है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य देश में जातिविहीन समता मूलक समाज का निर्माण करना है। डॉ. बाबा साहेब आंबेडकरजी ने अपना पूरा जीवन देश से जातीय शोषण समाप्त करने के लिए लगा दिया और सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को समान अवसर देने हेतू सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया। ऐसे महापुरुष हमारे प्रेरक हैं। इस देश में दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्ग के छोटे–मोटे छात्र एवं युवा संगठन है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्ग के छात्र एवं युवकों का कोई भी संगठन नहीं है। यह हमारी कमजोरी है। हम इस कमजोरी को दूर करते हुए इन सभी को लेकर एक शक्तिशाली दलित, आदिवासी, ओबीसी छात्र एवं युवकों का राष्ट्रीय संगठन बना रहे हैं।

वैसे तो देश मे बहुत से राष्ट्रीय छात्र युवा संगठन है। कोई मनुवादी, कोई वामपंथी तो कोई गांधीवादी है। इन सभी संगठनों का कहना है कि हम शोषण के खिलाफ हैं लेकिन जातीय शोषण के खिलाफ कोई संगठन पूरी तरह से खड़ा नहीं हुआ। इन संगठनों की ताकत हमारे ही छात्र एवं युवा रहे हैं और हमारी ही ताकत का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ अब तक होता रहा है। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ एम्स और आईआईटी में आंदोलन शुरू था, तब कोई भी वामपंथी छात्र संगठन ओबीसी छात्रों के आरक्षण के समर्थन मे खड़ा नहीं हुआ। इन वामपंथी छात्र संगठनों का कहना था कि आरक्षण से जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। ऐसे बयानबाजी से अप्रत्यक्ष रूप से दलित, आदिवासी, ओबीसी छात्रों के आरक्षण का विरोध किया। हम मनुवादी छात्र संगठन की बात समझ सकते हैं। मगर वामपंथी छात्र संगठन हमें अपना दोस्त बनाकर हमारा ही शोषण का समर्थन करते हैं। आज तक हमारा कोई राष्ट्रीय छात्र एवं युवा संगठन नहीं था। इसी कारण हमारे छात्र एंव युवाओं का झुकाव इन संगठनों के तरफ रहा है। भारतीय संविधान में सरकारी नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी को सामाजिक न्याय के तहत आरक्षण दिया गया है। डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर ने 1947 में आरक्षण के ऊपर अपना मत व्यक्त करते हुए कहा था कि दलित, आदिवासियों को सरकारी एवं निजी क्षेत्र में भी आरक्षण होना चाहिए। दुनिया के 50 देशों में सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सामाजिक न्याय एवं समान अवसर के लिए सामाजिक पिछड़ापन के आधार पर सरकारी और निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाता है। इन 50 देशों के उद्योगपति भी इस आरक्षण का समर्थन करते हुए अपने उद्योगों में इस आरक्षण कानून को अनिवार्य किया है। भारत में निजी क्षेत्र में आरक्षण तो दिया नहीं उल्टे सरकारी क्षेत्र में जो आरक्षण है, उसे निजीकरण के माध्यम से खत्म किया जा रहा है जबकि निजी क्षेत्र का दायरा बढ़ता जा रहा है। इस देश में दलित, आदिवासी, पिछड़ों की भागीदारी केवल आरक्षण के माध्यम से ही हो पाया है जो केवल सरकारी क्षेत्र में ही था। आने वाले दिनों मे हमारे यहां भी भागीदारी नहीं रहेगी। निजीकरण से सरकारी क्षेत्र खत्म हो रहा है। हम निजीकरण का विरोध नहीं करते हैं मगर निजी क्षेत्र में अपनी भागीदारी चाहते हैं। अगर निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू नहीं हुआ तो भविष्य में हम इस देश में गुलामी और गरीबी की जिंदगी जीने को मजबूर हो जाएंगे क्योंकि इस देश में जाति ही इन्सान के काबीलियत का आधार है इसलिए हम निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग करते हैं। पिछले कई वर्षों से अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज छात्र युवाओं के इस मांग को लेकर देश में आंदोलन चला रहे हैं। एक सच्चे आंबेडकरवादी नेता के नेतृत्व में हम अपना नेशनल एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेन्टस् एंड यूथ फ्रंट (एनएसओएसवायएफ) बना रहे हैं। हम सभी से निवेदन करते हैं कि अपने और आनेवाले पीढ़ी के आजादी और अधिकार के लिए इस संगठन का हिस्सा बनें और आंदोलन को सफल बनाएं। हम दिसंबर 2013 में लाखों छात्र एंव युवकों की रैली डॉ. उदित राज जी के नेतृत्व में करने जा रहे हैं।

चाहे छांव हो या कड़कती धूप हो,

हम हटेंगे नहीं, खुन हमारा बहे या उनका बहे,

हम लड़ेंगे, अपने और आगामी पीढ़ी के देश में भागीदारी के लिए।

बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर का ऐतिहासिक भाषण

(आगरा, 18 मार्च 1956)

जनसमूह से

''पिछले तीस वर्षों से तुम लोगों को राजनैतिक अधिकार के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। मैंने तुम्हें संसद और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण दिलवाया। मैंने तुम्हारे बच्चों की शिक्षा के लिए उचित प्रावधान करवायें। आज, हम प्रगति कर सकते हैं। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक गैरबराबरी को दूर करने हेतु एकजुट होकर इस संघर्ष को जारी रखें। इसी उद्देश्य हेतु तुम्हें हर प्रकार की कुर्बानियों के लिए तैयार रहना होगा, यहां तक कि खून बहाने के लिए भी।''

नेताओं से

''यदि कोई तुम्हें अपने महल में बुलाता है तो स्वेच्छा से जाओ लेकिन अपनी झोंपड़ी में आग लगाकर नहीं। यदि वह राजा किसी दिन आपसे झगड़ता है और आपको अपने महल से बाहर धकेल देता है, उस समय तुम कहां जाओगे? यदि तुम अपने आपको बेचना चाहते हो तो बेचो लेकिन किसी भी तरह अपने संगठन को बरबाद करने की कीमत पर नहीं। मुझे दूसरों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों से ही खतरा महसूस कर रहा हूं।''

भूमिहीन मजदूर से

''मैं गांव में रहने वाली भूमिहीन मजदूरों के लिए काफी चिंतित हूं। मैं उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया हूं। मैं उनके दुःख तकलीफों को सहन नहीं कर पा रहा हूं। उनकी तबाहियों का मुख्य कारण यह है कि उनके पास जमीन नहीं है। इसलिए वे अत्याचार और अपमान के शिकार होते हैं, वे अपना उत्थान नहीं कर पाएंगे। मैं इनके लिए संघर्ष करूंगा। यदि सरकार इस कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करती है तो मैं इन लोगों का नेतृत्व करूंगा और इनकी वैधानिक लड़ाई लडूंगा। लेकिन किसी भी हालत में भूमिहीन लोगों को जमीन दिलवाने का प्रयास करूंगा।''

अपने समर्थक से

''बहुत जल्दी ही मैं तथागत बुद्ध के धर्म को अंगीकार कर लूंगा। यह प्रगतिवादी धर्म है। यह समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व पर आधारित है। मैं इस धर्म को बहुत सालों के प्रयासों के बाद खोज पाया हूं। अब मैं जल्दी ही बुद्धिस्ट बन जाऊंगा। तब एक अछूत के रूप में मैं आपके बीच में रह पाऊंगा। लेकिन एक सच्चे बुद्धिस्ट के रूप में मैं तुम लोगों के कल्याण के लिए संघर्ष जारी रखूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ बुद्धिस्ट बनने के लिए नहीं कहूंगा। क्योंकि मैं अंधभक्त नहीं चाहता। केवल वे लोग ही जिन्हें इस महान धर्म की शरण में आने की तमन्ना है, बौद्ध धर्म अंगीकार कर सकते हैं। जिससे वे इस धर्म में दृढ़ विश्वास के साथ रहें और इसके आचरण का अनुसरण करें।''

बौद्ध भिक्षुओं से

''बौद्ध धर्म एक महान धर्म है। इस धर्म के संस्थापक तथागत बुद्ध ने इस धर्म का प्रसार किया और अपनी अच्छाइयों के कारण यह धर्म भारत के दूर–दूर तक एवं गलीकूचों तक पहुंच सका। लेकिन महान उत्कर्ष के बाद यह धर्म 1293 ई. में विलुप्त हो गया। इसके कई कारण है। एक कारण यह भी है कि बौद्ध

भिक्षु विलासितापूर्ण एवं आरामतलब जिंदगी जीने के आदी हो गये। धर्म प्रचार हेतु स्थान–स्थान पर जाने की बजाय उन्होंने बिहारों में आराम करना शुरू कर दिया तथा रजवाड़ों की प्रशंसा में पुस्तकें लिखना शुरू कर दिया। अब इस धर्म की पुनर्स्थापना हेतु उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें दरवाजे–दरवाजे जाना पड़ेगा। मुझे समाज में बहुत कम भिक्षु दिखाई देते हैं। इसलिए जन साधारण में से अच्छे लोगों को भी इस धर्म प्रसार हेतु आगे आना चाहिए और इनके संस्कारों को ग्रहण करना चाहिए।''

शासकीय कर्मचारियों से

''हमारे समाज में शिक्षा में कुछ प्रगति हुई है। शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग उच्च पदों पर पहुंच गए हैं। परंतु इन पढ़े–लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं आशा कर रहा था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे समाज की सेवा करेंगे। किन्तु मैं क्या देख रहा हूं कि छोटे और बड़े क्लर्कों की एक भीड़ एकत्रित हो गई है जो अपनी तोदे (पेट) भरने में व्यस्त है। ये जो शासकीय सेवों में नियोजित है, उनका कर्तव्य है कि उन्हें अपने वेतन का 20वां भाग (5 प्रतिशत) स्वेच्छा से समाज सेवा के कार्य हेतु देना चाहिए। तब ही समाज प्रगति करेगा अन्यथा केवल एक ही परिवार का सुधार होगा। एक वह बालक जो गांव में शिक्षा प्राप्त करने जाता है, संपूर्ण समाज की आशाएं उस पर टिक जाती है। एक शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता उनके लिए वरदान साबित हो सकता है।''

छात्र-छात्राओं से

''मेरी छात्र–छात्राओं से अपील है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार की क्लर्की करने के बजाय उसे अपने गांव की अथवा आस–पास के लोगों की सेवा करना चाहिए। जिससे, अज्ञानता से उत्पन्न शोषण एवं अन्याय को रोका जा सके। आपका उत्थान समाज के उत्थान में ही निहित है।''

''आज मेरी स्थिति एक बड़े खंभे की तरह है, जो विशाल टेंटों को संभाल रही है। मैं उस समय के लिए चिंतित हूं कि जब यह खंभा अपनी जगह पर नहीं रहेगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मैं नहीं जानता, कि मैं कब आप लोगों के बीच से चला जाऊं। मैं किसी एक ऐसे नवयुवक को नहीं ढूंढ पा रहा हूं, जो इन करोड़ों असहाय और निराश लोगों के हितों की रक्षा करें। यदि कोई नौजवान इस जिम्मेदारी को लेने के लिए आगे आता है तो मैं चैन से मर सकूंगा।'

समाज अपने इतिहास की बातों को कभी भूल जाता है तो मायुसी आ जाती है जिन्हें ताजा करने के लिए ऐतिहासिक भाषण के साथ अधिक है कि भारत में सामाजिक आंदोलन लाये बिना इन समस्याओं का समाधान संभव नहीं है आज भी दुश्मन अपने कारनामें कर सिर्फ अपनी व्यवस्था बचाने में मूल निवासियों की अनदेखी कर जुल्म कर रहा है।

अनुसूचित जाति–जनजाति कर्मचारियों का अखिल भारतीय परिसंघ
के नेतृत्व में
दो दिवसीय राज्य स्तरीय कैडर कैम्प, नागपूर, महाराष्ट्र में

दिनांक 27–28 अप्रैल 2013,
स्थल: डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर कामगार प्रशिक्षण केंद्र,
खडकी, लेआउट, गंगानगर, हजारी पहाड, नागपूर, महाराष्ट्र

मुख्य मार्गदर्शक

1. डॉ. उदित राज (राष्ट्रीय अध्यक्ष), 2. एस. व्हि गडपायले
3. एन. एन. चोखांदरे , 4. एम. के. कोंडाते

संम्पर्क
सिद्धार्थ भोजने मो. नं. 9545518795
सिद्धार्थ उके
सुनिल मेश्राम मो.नं. 7385708660

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष : 600 रुपए
एक वर्ष : 150 रुपए

महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए कानून से ज्यादा सोच बदलो

डॉ. उदित राज

सर्वदलीय बैठक में यह तय किया गया कि सहमति से शारीरिक संबंध की उम्र अठारह वर्ष ही रहेगी। यदि कोई लड़की या स्त्री शिकायत करे कि उसको कोई बूरी नजर से देख रहा है या घूर रहा है या आंखों से इशारा कर रहा है तो इतना ही पर्याप्त है कि जेल के सलाखों के पीछे डाल देना। सर्वदलीय बैठक में इसमें जरूर इतना बदलाव किया कि पहली बार यह जमानती अपराध होगा लेकिन यदि दुबारा हुआ तो वह गैर जमानती होगा। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई कानून बना होगा जो बिना किसी प्रमाण के सच मान लिया जाए। क्या यह मान लिया जाए कि सारी लड़कियां या स्त्रियां सच ही बोलती हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसी घटनाएं महिलाओं के साथ होती है और प्रमाणित होने पर जरूर सजा मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा भी कानून नहीं बनना चाहिए जिससे स्त्रियों से पुरुष समाज दूरी बनाने लगे जिससे पुरुषों को हानि कम और स्त्रियों को ज्यादा हो।

मैं स्वंय आयकर विभाग में उच्च पद पर रहा हूं। अपने नीचे जूनियर स्त्री को रखने में बचने की कोशिश किया करता था। एक बार एक महिला की अहम जगह पर मेरे अंदर तैनाती कर दी गयी। कई दिनों तक मैंने ज्वाइन नहीं करने दिया और कोशिश किया कि उसका तबादला किसी और अधिकारी के यहां हो जाए। विकल्प की खोज की तो उपयुक्त पुरुष नहीं मिला और इस पद वाले लोग भी विभाग में कम थे। लगभग एक महीने के बाद मजबूर होकर उस महिला की तैनाती को स्वीकार करना पड़ा। किसी भी स्थिति में मैं कामकाज से समझौता नहीं करता था और ऐसे में नीचे के कर्मचारियों को भी काम करना ही पड़ता। विभाग में माहौल यह था कि महिला कर्मचारियों के साथ काम करने में ज्यादातर लोग कतराते थे। पहला तो कि तमाम महिलाएं कार्यालय ही देर से आती हैं, अगर जाड़े का मौसम है तो स्वेटर वगैरह बुनने का सामग्री सहित उपस्थित हुआ करती थी। साढ़े पांच बजे छुट्टी होने का समय होता था तो तमाम महिलाएं चार–साढ़े चार बजे ही घर चली जाती थी। ज्यादातर अधिकारियों की हिम्मत डांटने और अनुशासन करने की इसलिए नहीं होती थी कि कोई आरोप ना लगा दें। दूसरा पक्ष यह भी है कि पुरुष अपने नीचे तैनात स्त्रियों का शोषण करते हैं। पुरुष महिलाओं के अनुपात में ज्यादा उत्पीड़न करते हैं यह एक निर्विवाद सच है। कड़ा से कड़ा कानून बने और महिलाओं को किसी भी रूप में नीचे दिखाने वाले या हिंसा करने वाले पुरुष के खिलाफ कार्यवाही जरूर हो लेकिन यह भी देखना होगा कि पुरुषवादी समाज परोक्ष रूप से उनका तमाम क्षेत्रों से बहिष्कार ना कर दें। अभी भी कुछ हद तक बहिष्कार है। उद्योग, दुकान, संस्था, सरकारी कार्यालय, सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र आदि सभी क्षेत्रों में पुरुषों का वर्चस्व और कुछ हद तक परोक्ष रूप से महिलाओं का बहिष्कार तो हो ही चुका है लेकिन यदि ऐसा कानून बन जाता है तो भारी पैमाने पर उनके साथ भेदभाव होगा। इससे वह रोजगार, राजनीति, शिक्षा एवं व्यवसाय आदि क्षेत्रों में पिछड़ जाएंगे। ऐसा ना हो कि एक तरफ इनके सशक्तिकरण के लिए कानून बने तो दूसरी तरफ वे कमजोर हो जाएं। संसद में मुलायम सिंह यादव और शरद यादव ने ईमानदारी दिखाई लेकिन ज्यादातर नेताओं ने अपना दोहरा चरित्र बनाए रखा।

जिन नौजवान युवक, युवतियों, संगठनों एवं देशवासियों ने निर्भया के बलात्कार और हत्या के विरूद्ध आंदोलन किया वह बहुत ही सराहनीय है। जितनी ऊर्जा इस संघर्ष से निकली अगर उसकी दिशा सही होती तो वास्तव में महिलाओं का सशक्तिकरण होता। इस संघर्ष के निशाने पर पुलिस एवं राजनैतिक लोग ही थे जबकि उन परंपराओं एवं सोच पर बराबर हमला नहीं हुआ जिसके वजह से पुरुष इन्हें कमतर देखता है और उपभोग की वस्तु मानता है। न्यायपालिका बराबर की गुनाहगार है लेकिन वह इनके निशाने पर नहीं आ सकी। केवल कड़ा कानून बनाने से समस्या का हल नहीं होने वाला है बल्कि उसके लिए सोच बदलनी होगी। क्या उन रीति–रिवाजों, त्योहारों और पाखंडों का बहिष्कार करने की आगाज इस संघर्ष से निकली? क्या उस सोच और मान्यता का प्रतीकार हुआ कि स्त्री के खिलाफ सेक्स हिंसा से उसका चरित्र क्यों मापा जाता है। क्यों नहीं यह मापदंड पुरुषों के ऊपर लागू होता है। यदि स्त्री का चरित्र उसके जननांग में होता है तो पुरुष का उसके लिंग में होना चाहिए। सजा चोर को दी जाती है ना कि जिसके यहां चोरी होती है। लेकिन यहां उल्टा है और इसे सीधा करने का काम महिला सशक्तिकरण के पैरोकारों को करना पड़ेगा। लेकिन उनमें हिम्मत और साहस पुलिस और राजनैतिज्ञ लोगों को गाली देने की तो है लेकिन उस परंपरा और सोच के सामने खुद नतमस्तक हो जाते हैं। करवा चौथ करने वाली औरतों का क्या नैतिक अधिकार है कि वे महिला सशक्तिकरण की बात करें। करवा चौथ से पति के दीर्घायू और उसे परमेश्वर का रूप मानने का त्योहार है लेकिन क्या ऐसा कोई त्योहार पुरुष महिलाओं के लिए मनाते हैं। क्या उन फिल्मों का बहिष्कार की आवाज निकली जिसमें बलात्कार का दृश्य दिखाया जाता है और उसका परिणाम यह होता है कि पीड़िता या तो आत्महत्या करती है या पागल हो जाती है। क्या उस मीडिया से सवाल खड़ा किया जो ऐसी घटना पर चीख–चीख चिल्लाती है कि महिला की इज्जत तार–तार हो गयी। क्या इनमें वो हिम्मत है कि कहें कि जिस महिला के खिलाफ यौन हिंसा हो वह ना सिर छुपाये और ना पहचान, डटकर मुकाबला करें और कहा जाए कि चरित्रहीन तो वह हैवान पुरुष है जिसने यह घृणित कार्य किया। क्या भाजपा के वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज से यह पूछा गया कि उन्होंने देश की संसद में कहा कि यदि निर्भया जिंदा रहती भी है तो लाश बनकर के रहेगी, जबकि कहना यह चाहिए था कि वह सिर उठा के रहे और लाश तो उसे होना चाहिए जिसने यह घृणित कार्य किया है। क्या इन्होंने उन धार्मिक पुस्तकों, लेखन एवं परंपराओं की जंतर–मंतर पर होली जलाकर के निंदा करने की कोशिश की जिससे उनको कमतर और उपभोग की वस्तु मानकर दिखाया जाता है।

बलात्कार की घटना की पीड़ा कुछ समय के लिए होती है लेकिन असली चरित्र हनन, अपमान समाज में कमतर देखने का कार्य हमारे समाज की परंपराएं और सोच जिम्मेदार है। तभी तो पीड़िता सिर झुकाकर के और मुंह छिपाकर के चलती है। दुनिया के और भी देशों में इस तरह की घटनाएं घटती है लेकिन वहां पर ना तो इसे चरित्र से जोड़कर देखा जाता है और ना ही सिर झुकाकर के जीने की मजबूरी होती है। वहां पर स्त्रियों ने पुरुषवादी समाज को तोड़ने के लिए सड़ी–गली परंपराओं का बहिष्कार ही नहीं किया बल्कि तमाम साहसिक कदम भी उठाएं जैसे ब्रा जलाने का काम, टॉपलेस होना, आदि। इसका मतलब यह नहीं है कि यहां पर भी उसी प्रकार से प्रतिकार करे लेकिन करें जरूर चाहे दूसरे रूप में उतने ही साहस और शक्ति से। अभी तक शायद ही किसी स्त्री संगठन या वो लोग जो स्त्री और पुरुष की समानता की लड़ाई हर क्षेत्र में लड़ रहे हैं आवाज जोर से उठाई कि बलात्कार पीड़ित महिला को नाम छुपाने से बचना नहीं है और ना ही सिर झुकाकर चलने की जरूरत। शुरू में कुछ को ये साहसिक कदम उठाना ही होगा और तभी जाकर के इस तरह की हिंसा एक सामान्य हिंसा मानी जानी लगेगी और धीरे–धीरे चरित्र से विच्छेद और सामाजिक कलंक से मुक्ति होगी।

जिस तरह का कानून बनने जा रहा है और यौन हिंसा से जो स्थिति महिला की हो जाती है उससे लगता है कि वह निर्जीव है और संवेदनाहीन भी। आये दिन अखबारों में यह भी घटना आती है कि झूठे आरोप में तमाम पुरुष जेल में पड़े हैं। मायापूरी बलात्कार केस में निरंजन कुमार मंडल बरी तो हो गए हैं लेकिन ये गुनाहगार की भांति जिंदगी जी रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि जिस तरह से मीडिया ने उनकी गिरफ्तारी और दोषी होने की खबर दिखाई, निर्दोष होने की खबर क्यों नहीं कर

रही है। लड़कें–लड़िकयां प्रेम करते हैं और भागकर के शादी कर लेते हैं और कुछ दिन बाद घरवाले बहला–फुसलाकर के बुला लेते हैं। लड़की के घरवाले धीरे–धीरे उसे प्रभावित करके कहवा देते हैं कि उनके साथ बलात्कार हुआ है और ऐसे मामले प्रचुर मात्रा में है और निर्दोष लड़के जेल में पड़े हैं। तमाम इस तरह की भी घटनाएं सामने आई कि दोनों सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं लेकिन किसी बात से बात बिगड़ जाती है या भंडाफोड़ हो जाता है तो आरोप लगा दिया जाता है कि उनके साथ जबरदस्ती हुआ है। इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद स्त्रियों की स्थिति में प्रगति हुई है। उनमें भी आजादी, भावनाएं, संवेदनाएं जगी हैं तो वे भी कुछ हद तक वैसा ही व्यवहार कर सकती हैं जैसा पुरुष करते हैं और क्यों ना करें। यदि सारे पुरुष अनुशासित नहीं हैं तो पूरे महिला समाज से ऐसा क्यों उम्मीद की जाती है? क्या सारी महिलाएं निर्दोष हैं कि वे इस कानून का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगी। बिना सबूत के कार्यवाही नहीं होनी चाहिए और इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है सोच में बदलाव के लिए संघर्ष।

महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, बलात्कार एवं छेड़छाड़ यदि सबूत के साथ सही पाया जाए तो कितनी भी कड़ी सजा दी जाए, शायद ही किसी को ऐतराज होगा। ना तो हम रूढ़िवादी समाज में रह रहे हैं और ना ही शिक्षित और आधुनिक, इसके वजह से भी महिलाओं का शोषण एवं उत्पीड़न हो रहा है। रूढ़िवादी समाज में भावनाओं के दबने एवं ईश्वर के डर के वजह से लोग संयमित रहते हैं लेकिन संक्रमणकाल के समाज में स्थिति बदल जाती है। हमारा समाज इसी दौर से गुजर रहा है। एक समाज वह भी है जहां पर पत्थर से मार दिया जाता है या गोली से उड़ा दिया जाता है। इसलिए ऐसी वारदातें वहां पर नहीं होती है लेकिन यह भी जान लेना चाहिए कि वहां जनतंत्र नहीं है। जो समाज आधुनिक हो चुका है वहां पर ऐसी समस्या कम है। वहां पर खुलेपन की वजह से आवश्यकता एवं उसकी पूर्ति भी उपलब्ध हो जाती है। अतीत को हम सनातनी एवं आदर्श समाज मानते हैं लेकिन उसमें सेक्स वर्क (वेश्यावृत्ति) को सामाजिक मान्यता मिली थी। प्रत्येक 25–50 गांव के मध्य में एक गांव सेक्स वर्कर का भी हुआ करता था और लोग जाकर के अपनी इच्छा पूर्ति कर लेते थे। इस उपलब्धता के वजह से कम से कम परिवार एवं रिश्तेदारों के साथ यह कुकृत्य तो कम करते थे। कड़े कानून की भी सीमा वहां हो जाती है जहां पर लोग घर और रिश्तेदारों के साथ छेड़छाड़ एवं शोषण करते हैं। यह कटु सत्य है कि तमाम लोग यहां पर सेक्स की भूख से गुजर रहे हैं और विक्षिप्त मानसिकता के भी हैं जिसके वजह से जब पागलपन छाता है तो अपना और पराया कुछ नहीं दिखता। मध्यम वर्ग या जिनकी आर्थिक क्षमता है वे ज्यादातर उन्हीं देशों में जाते हैं जहां पर नाइट लाइफ और फ्री सेक्स है लेकिन इस सच्चाई को हम दोहरे चरित्र वाले आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। सभ्य एवं शिक्षित समाज के अपवाद की घटना को हम अपनी कमियां छुपाते हैं कि ऐसा तो विकसित देशों में भी होता है। हमारा समाज सभ्यता के मामले में कम से कम 500 वर्ष यूरोप एवं अमेरिका से पीछे चल रहा है। सोच का संबंध सभ्यता से है। राजनीतिज्ञ लोग वोट के लालच में सोच बदलने की लड़ाई नहीं लड़ेगें जबकि उनके अंदर इस काम को करने की इच्छा होती है। हमारे पुरातनी एवं पाखंडी समाज में बदलाव सरकार एवं राजनीतिज्ञों के वजह से ना के बराबर हुआ है, समयांतराल ज्यादा हुआ है और अब भूमंडलीकरण के वजह से परिवर्तन की आंधी तेज हो गयी है।

J&K unit of the Confederation organizes March to Gherao J&K Assembly

R. K. Kalsotra

Jammu, 25.03.2013: A peaceful protest rally, with thousands participating to ghearo the state assembly, was held under the aegis of the All India Confederation of SC/ST/OBC Organizations steered by its National Chairman Dr. Udit Raj and its State President Mr. R.K. Kalsotra to demand, hitherto denied, the constitutional and fundamental rights of SC/ST/OBC's of the state under the Constitutional schemes for giving a push for their upliftment. A memorandum was submitted to the government wherein demands for affirmative action by the government were enlisted. The participants gathered at Hari Singh Park and commenced its march at 1:00 pm to gherao the state assembly a large number of speakers expressed their views or saving reservation. The following important issues were raised in the Memorandum:

Reservation: in Rehbar-e-Taleem, Rehbar-e-Zerat, Rehbar-e-Sehat, Consolidated, contractual, Adhoc, Temporary, need basis in govt. corporations, J&K Bank, J&K Grameen Bank, Co-operative Banks, NRHM, SPO's, Anganwari workers and other departments.

Recruitment: without SSRB and PSC should not be carried out. Stop ad hoc recruitment and provide reservation to the fullest extent in direct recruitment.

Maintenance: of roster and roster based seniority and promotion thereon in the government departments and PSU's, clearance of backlog vacancies in promotions.

Provide reservation: in the Districts according to proportion of population of SC/ST's at District level for district cadre posts, however, till this is done, give 1st and 2nd chance to local SC/ST and 3rd chance to Inter District category candidate. Also 1st provisio to Section 3 of the Reservation Act, 2004, which seals total reservation to 50 percent, be deleted.

In judiciary: reservation to SC/ST/OBC's for elevation to the High Court.

Central budgetary allocation: for SC's and ST's for the year 2013-14 is Rs. 45000 crore and Rs. 21,000 crore respectively, consequently, the Confederation impresses upon the state to demand Rs. 2000 crore for SC's and Rs. 1000 crore for ST's as its share for the state immediately so that it could be utilized from April 2013 itself for generating job avenues for these communities so that inclination of unemployed youth towards public employment is lessened. On similar lines, the state should provide 10 % (Rs.3800 crore) and 8% (Rs.3500 crore) share for ST's and SC's respectively from out of total state budgetary allocation for the year 2013-14. Accountability of utilization of funds under special component plans which are exclusively meant for income generating programs for SC/ST/OBC's and stopping diversion thereof for general purposes.

Educational institutions & scholarships: Provide admission to SC/ST/OBC students in all educational institutions without charging any admission fees and abolish marks criteria and income slab for entitlement of scholarships.

SC/ST OBC Advisory boards: must be empowered so that the purpose for which they are constituted is achieved.

Implementation of 27% reservation for OBC's: as promised by ex-CM of the state as per the recommendations of the Mandal Commission report duly confirmed by the Hon'ble Supreme Court in Indira Sawhney's case. Further, the Confederation demands enhancement of income slab to Rs. 6 Lakhs per annum for the OBC's at par with that at the centre for creamy layer.

Adequate representation to SC/ST/OBC students in all universities/Medical colleges

Caste based atrocities: must be dealt with sternly, SC/ST/OBC's are not even allowed to touch water resources belonging to higher caste people.

Stopping discriminatory attitude towards SC/ST/OBC employees in enquiries and transfers. Even Chief Engineers are suspended without any enquiry, likewise officers belonging to these classes are transferred within a day of assuming office which discrimination must be addressed.

Stop dilution: of ST status and misclassification of OBC status.

Provide full reservation quota: to SC/ST/OBC's @ 8/10/27 Percent respectively to the candidates in admission to PG Medical courses.

Provide adequate representation: to the SC/ST/OBC categories in local body elections at Sarpanch, Urban local bodies and Block Development Council levels, secondly, to see to it that any law, rule or instruction, that goes against the rights of the SC/ST/OBC's of the state, may not be passed to the detriment of these categories.

Political reservation: to Scheduled Tribes.

Provide Hostel facilities: to SC/ST/OBC students at Tehsil levels so that rate of drop outs in schools/colleges in minimized.

Conversion of seasonal centers for nomadic tribes into mobile schools.

Extension of the jurisdiction: of the National Commission for SC's, National Commission for ST's and National Commission for Backward Classes to the state of J&K by amendment in the respective state acts.

Ban on manual scavenging: Rehabilitation of manual scavengers belonging to Watal and Choupan Communities and confer OBC Status to these communities.

Representation in PSC: to SC members after R.L. Bharti.

Provide Permanent resident rights: to the Refugees and to Valmiki community/Safai Karamcharis who were brought to the state from Punjab in the hour of crisis in 1957 by the then Prime Minister Late Jenab Bakshi Ghulam Mohd. Also, promotion avenues for safai karamcharis be opened in a fair and impartial manner.

Important office bearers and leaders who were persent at the meeting included Begum Zahida Chowdhary, Sabar Chowdhary, Ramesh Sarmal, Lok Nath, O.D. Attri, Sham Lal Basson, Ashok Kumar, Haji Saif Ali, Mr. Qureshi, Ahsan Ali Gandhi, Ashaq Ali Watal, Anisa Gul, Youth leaders Narendra Kesar, Chowdhary Farooq Ahmed and others.

(Rest of Page-8...)

For Empowering Women, not only law but change in mindset needed

in the Press that many males are rotting in jails because of the false allegations of rape and sexual violence. In the Maypuri rape case, Niranjan Kumar Mandal has been exonerated by the Court but is still living in the shadow of the crime. He has appealed to the Supreme Court as to why the Media has not given the same amount of publicity to his exoneration from the charges of rape as was given to his arrest and subsequently being found guilty. Boys and girls often fall in love and run away from their houses to make marriage and after a few days, their parents coaxe them to come back into the family fold. The girls' parents graudually influence them to go and complain that she was raped and such like cases are quite large in number and the innocent boys are rotting in jails. There are also a large number of cases in which both the boys and the girls have a consensual sex but subsequently when differences develop due to some reasons or this secret becomes open, then the girls make the allegation that she was raped. Despite these hostile developments, there has been a marked improvement in the condition of women. The women have as much freedom and independence of thought and emotions as their men-folk in many areas and it is rightly so. If the entire male community is not disciplined, then the women have also got the freedom to as behave or act like the men-folk. Can we say that all the women are innocent and that they will not make mis-use of the proposed law? Punishment should not be meted out without sufficient proof and the most important factor is the change in the mind-set.

Nobody will have any objection when the harshest punishment is meted out to anybody who is found guilty of misbehaving with women, rape and teasing with sufficient proof. Presently, we are neither living in a completely traditional society nor in a educated or modern society due to which offences against women are on the increase. In a traditional society, because of the fear of God and suppression of emotions, people lead a controlled life. But our society is passing through a crisis and the situation becomes different in such a situation. There is a society in which people are killed with stone or shot dead with bullets for such crimes. In such society, these types of crimes do not take place but we should not forget that in such societies, there is no democracy. Such crimes are less in a society which has become modern. Because of the openness in such society, there is a balance between supply and demand. We regard that in the old Indian values, there was idealism but even in that society, prostitution had a social recognition. In every cluster of 25 to 50 villages, there used to be a village of sex workers and people used to go there to satisfy their sexual appetite. Because of the availability of this facility, at least sex crimes among relatives and families were rare. It is a bitter reality that the people in our country are passing through a phase of sexual hunger and because of the perverted mindset of the people, they land themselves in a position where they lose their balance of mind. Middle class people or who are financially well off mostly go to such countries where there is free sex and plenty of night life but those people who have double standards will not easily recognize this fact. We try to cover the misdeeds of the educated and the cultured society by saying that things are commonplace even in the developed countries. In the matter of culture, our society is lagging behind Europe and America at least by 500 year. Mindset is directly related to culture . The political class is not going to launch any struggle for change in mind-set because of the fear of the loss of their vote bank while they actually feel like doing so. In our society of age-old rotten customs, because of the attitude of the Government and the political class, there has been no change in the mindset. The time-lag is big and because of globalization, the winds of change are blowing fast.

Karnataka: How a Government Job Spelt Doom for 37 Dalit Families

Imran Khan

When Lakshmamma, 33, applied for a job as a cook at an anganwadi, little did she know that it would blow up into a crisis, not only for her, but for all the 37 Dalit families in her village. For nearly four months, the Dalit community of Shivanagar village in Chitradurga district, 200 km from Bengaluru, has been protesting at Freedom Park in the state capital, against their ostracisation by the upper-caste residents of Majure, a village 12 km from Shivanagar.

The upper castes are adamant they won't allow Lakshmamma, a Dalit woman, to cook for their children at the anganwadi, and have enforced a social boycott on her community as "collective punishment" for her refusal to quit her job.

Lakshmamma had been thrilled when she saw the advertisement for the job in a local newspaper in August last year. Like most Dalits in her village, her husband Nagaraj, 43, worked as a labourer for upper- caste landowners in Majure.

The anganwadi job meant a lot to the family of five that could barely make ends meet. So when Lakshmamma finally landed the job, it could have been the beginning of a better life for her family.

But trouble started the day she joined work at the anganwadi in Majure. The upper- caste residents of the village, comprising Lingayats and Vokkaligas, refused to allow a Dalit woman to cook for their children at the anganwadi. At a hurriedly convened meeting, the upper-caste elders decided to ask Lakshmamma to sign a letter of resignation. When she refused, the elders decided to impose a social boycott on the entire Dalit community of Shivanagar.

The boycott meant the Dalits were not allowed to buy anything from the local shops, nor could they work in the fields and houses of the upper-caste landowners — their basic source of livelihood. In effect, the Dalits had been rendered jobless.

In protest, the Dalits organised a sit-in at the Hiriyur taluk office on 15 November last year. Demanding the intervention of the local police and the district administration to end their persecution, they not only protested half-naked, but six of them even went to the extreme of smearing themselves with human excreta to symbolise their intolerable plight, hoping the officials would be shocked into taking action.

The protest led to action, no doubt, but it was against the protesters. Six protesters — who had smeared themselves with human excreta — were arrested on charges of disturbing the peace. "The police torched our tents. Fearing for our lives, we went to Bengaluru and set up camp at Freedom Park," says Bhojraj, one of those arrested. Since then, a tent at Freedom Park has been home to the 37 Dalit families of Shivanagar.

The protesters allege the police action was carried out at the behest of local MLA (Independent) D Sudhakar. When contacted by TEHELKA, the MLA flatly denied that anything of the kind happened in his constituency. "It is just a conspiracy to malign my name," he says. "I have done enough for the Dalits."

The dalit protesters at Freedom Park are staring at an uncertain future. Too scared to return to their village, they are worried about their children's education and desperate for alternative avenues of employment.

"We sent petitions to the chief minister and the social welfare minister, but nothing has happened so far," says TD Rajagiri, president of the Dalit Sangharsh Samiti (B Krishnappa faction), which is supporting the agitation. "We are requesting the government to provide land and security to the Dalits. They cannot go back to work for Majure's upper-caste landowners."

Social Welfare Minister A Narayanaswamy told TEHELKA it's impossible to give land to all the Dalit families at once. "We will give land to some of them this year, and to another batch, the next year. Unless and until they agree to this, nothing can move forward. But they have refused so far."

After challenging the unwritten code of untouchability, facing persecution and protesting for nearly four months, Lakshmamma is left wondering if it was indeed a mistake to apply for that job. It remains to be seen if the state authorities can reassure her and the other protesting Dalits that their future would not be all dark.

(Courtesy : Tehelka.com)

Gender Equality in India among worst in world : UN

NEW DELHI: When India's Human Development Index is adjusted for gender inequality, it becomes south Asia's worst performing country after Afghanistan, new numbers in the UNDP's Human Development Report 2013 show. Pakistan, Nepal and Bangladesh, which are poorer than India and have lower HDIs, all do comparatively better than India when it comes to gender equality.

The new UNDP report, released on Thursday, ranks India 136th out of 186 countries, five ranks below post-war Iraq, on the HDI. The HDI is a composite indicator composed of three equally weighted measures for education, health and income.

On the newly constituted Multi-dimensional Poverty Index (MPI), which identifies multiple deprivations in the same households in education, health and standard of living, only 29 countries do worse than India (though data-sets are from varying periods of time across nations). The MPI puts India's poverty headcount ratio at 54%, higher than Bangladesh and Nepal.

This was even as India did extremely well economically. India and China doubled output per capita in less than 20 years, at a scale the UNDP has said was "unprecedented in speed and scale". "Never in history have the living conditions and prospects of so many people changed so dramatically and so fast," the UNDP said; it took Britain 150 years to do the same after the Industrial Revolution and the United States, which industrialized later, took 50 years.

On the whole, developing countries have been steadily improving their human development records, some faster than others. No country has done worse in 2012 than in 2000, while the same was not true for the preceding decade. India, Bangladesh and China are among 40 countries that have done better on the HDI than was predicted for them in 1990. By 2030, more than 80% of the world's middle class is projected to be in the global South; within Asia, India and China will make up 75% of the middle class.

Gender equality is worst in India due to caste system and religious practices and unless these factors are reckoned seriously, other efforts will have scant impact on their status.

The HDR identifies three drivers of human development transformation in the countries of the global South - proactive developmental states, tapping of global markets and determined social policy innovation.

(Courtesy : The Times of India)

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22**,** Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

Violation of Reservation & Corruption in AIIMS

On 19th March, 2003 at New Delhi, Dr. Udit Raj, National Chairman of All India Confederation of SC/ST Organizations slammed the administration of All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) which has been proactively supporting the anti-reservation stand and not much time has passed when AIIMS's ground was the hub of anti-reservation stir in 2006 under the patronage of the Director, Mr. Venugopal. After that suppressed and hidden discriminations were unearthed and one of the most glaring discrimination was separation of Medicos in the hostels. Suicide incidents of SC/ST Medicos also took place. The some faculty members and administration are known for anti-reservationist attitude. 50 Professor's posts are lying vacant in AIIMS and to fill up that, an advertisement has been given vide No. 08/2012-(FC). Out of this 37 Professor's posts were going to be filled through direct recruitment and this could be possible due to reservation roster policy as per DOPT norms. So far, this norm was not followed but unfortunately this has been put on hold by the Union Health Ministry because of the opposition Faculty Association of AIIMS (FAIMS) which is spreading a false canard in the Health Ministry and the PMO that selection of faculty through direct recruitment at higher level will deteriorate the working atmosphere at AIIMS. The fact is that direct recruitment at higher level has not been opposed by anybody in the past.

In case of SC/ST and OBC, no such prompt actions are initiated to remedy their grievances but to scuttle the interests of SC/ST/OBC, not only Health Ministry acts fast but in this matter Prime Minister Office has intervened and now the recruitment has been stalled. The FAIMS wrote a letter to the Prime Minister Office against filling up of 37 post of professors out of which 17 were likely to go for SC and OBC. The private physicians of Prime Minister influenced the PMO and as a result , a committee under the Chairmanship of then Health Secretary was constituted without delay because it was to dilute the interests of SC and OBC. Why such quick actions are not initiated when the interests of SC/ST and OBCs are jeopardized. In this matter, there is collusion between FAIMS, PMO and Health Ministry. This committee is not represented by any SC, ST and OBC thus likely to be biased. We demand that the committee is to be immediately scrapped and posts are filled up. It is being opposed this time only because of reservation policy is being implemented at the Professor level for the first time.

Dr. Udit Raj further said that AIIMS has been violating reservation policy in past also. The AIIMS decided to consider the SC/ST reservation in faculty with reference to Govt. of India directives of 1975 but when it came to implement then it was restricted to entry level (Lecturer/Asstt. Professor). The Governing body decided to give reservation to OBC on 27.05.1994, yet administration chose not to advertise and implement the decision rather provoked FAIMS to go in Delhi High Court and unfortunately ex-parte interim order was obtained. This matter was dragged for several years and meanwhile AIIMS recruited more than 100 faculties on adhoc basis without giving reservation to SC/ST/OBC. The AIIMS advertised 164 posts of Asst. Professor by 10th May, 2002 and slot 9, 13 and 46 were only reserved for SC/ST/OBC and this was calculated without following the norms of roster. Dr. Udit Raj informed that instead of applying 200 points roster at the level of Asstt. Professor, Associate Professor, Addl. Professor and Professor, the administration took each specialty at each level as cadre with intention to keep the number as low as possible but at worst, keep the number only up to 13, so that 14 point called ' L' shape roster could not be applied and reservation denied. Out of 131 Asstt. Professors only 12 went for SC and 2 for ST and in case of Associate Professor only one post for SC out of 17. There were 9 Addl. Professors posts , not even one went for SC/ST and out of 30 Professor posts, SC got only 2 posts and ST were totally denied. As per DOPT, cadre means a particular group of posts having a particular grade of basic pay. Over the years, there was no system of carry forward if the candidates belonging to SC/ST category are not found suitable so shortfall could never be filled. Backlog vacancies of SC/ST are to be treated separate and will not be part of 50% ceiling. De-reservation requires that the post has to be advertised for at least 3 times. Ad hoc cannot be treated as lawful and given the seniority but AIIMS has done that also. The SC/ST/OBC candidates competing in general are wrongly adjusted against the quota. Health ministry has again asked AIIMS to allow further promotion on these illegal appointees whose initial appointment is under challenge in the court. Bias is also on the part of ministry when High Powered Committee headed by health Secy heard AIIMS Admn. and FAIMS and not to the Forum for Rights and Equality of SC/ST/OBC, AIIMS. 164 ad hoc appointees have not been only regularized but given seniority also. Who and how will be recovered the salaries of promoted assistant professor if the case is decided by High Court as per law?

Arun ,Dr. Udit Raj, Rajnarayan addressing the Press Conference.

All India Backward Student Forum is fighting for cause of SC/ST/OBC in AIIMS and corruption issue is also racked by it. AIIMS administration is also grappled with deep corruption and still proper probe is not being carried out. Due to lots of hue and cry, Shri Vinit Chaudhary, then Dy Director (admn.) was removed. He had spent more than 1000 crores in construction and renovation without following proper procedures. Despite his stay for 7 years, Health minister tried to retain him further which was illegal even though DOPT refused. What interest health minister had in all these things, he knows better. Five vigilance cases were pending against him in CVC and yet he was empanelled for additional secretary post, who gave clearance and why? Another AIIMS is coming up in Jhujjar where Shri Vinit Chaudhary got installed portable cable worth about 10 crores. Portable cable is to be destroyed and replaced by permanent after sometime, isn't it criminal wastage of money? He purchased land around Jhujjar AIIMS. On an average his vehicle was used for 150 KM per day. Was it justified when his residence was on the campus? About 20 lakh rupees was spent for his office renovation. Enquiries against him are going and we urge that it should be expedited.

No escape from caste prejudice even in UK

Anahita Mukherji

LONDON: If you happen to be of Dalit origin, or from the so-called lower castes, migrating out of India may not help you escape discrimination. India's infamous caste system has reared its ugly head in the United Kingdom.

School children from the lower castes have been taunted with casteist slurs like "bhangi" and "chamar" from other Indian school children of a higher caste. Many Indians in the work place say they have faced a great deal of harassment from other Indians on grounds of caste.

This has resulted in widespread protests across England. Human rights activists and Dalit organizations in the UK are campaigning for the enforcement of a clause in UK Equality Act that mentions the Indian caste system.

One of the worst instances of discrimination took place in central England, in a city called Coventry. "An elderly Dalit lady was receiving home care from the city council, who would send a council worker to her house to bathe her. One of the council workers happened to be an Indian of a higher caste. When she discovered the lady was Dalit, she refused to give her a bath," says Lekh Pall, an activist with the Anti-discrimination Alliance.

Harbans Lal Bali, a retired employee of UK's Royal Mail, who lives in the suburbs of London, recalls the harassment he faced at the Post Office when he was temporarily promoted to the post of supervisor. "I got to know that some of the people under me, who were Indians of a higher caste, complained to the management about my promotion. They said that they were not used to taking orders from people of my caste," he says.

There has also been an instance where an Indian of a lower caste was in a relationship with another Indian from a higher caste in the same office. Both were asked to leave their jobs by their employer, who was an upper caste Indian.

Lekh Pall was amongst those who campaigned for the inclusion of caste under the Equality Act 2010, as a form of racial discrimination. "We presented the House of Lords with a great deal of evidence when the Bill was being passed. They made an amendment to the Bill and included caste as an aspect of race. When the Bill was sent to the House of Commons, ministers were in favour of conducting their own study on the subject before including it in the law," he adds.

The UK government commissioned a nation wide study on the issue and came out with a report showing that there was "evidence suggesting caste discrimination" in the UK with regards to "work (bullying, recruitment, promotion, task allocation), provision of services and education (pupil on pupil bullying)". Though the Equality Act does mention caste, Dalit organizations say they are upset that this clause has yet to be enforced.

(Courtesy : The Times of India)

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 16 ● Issue 9 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 16 to 31 March, 2013

असत्य बोलने से दूर रहें।

-गौतम बुद्ध

For Empoweing Women, not only law but change in mindset needed

Dr. Udit Raj

At the All-Party meeting, it was resolved that the minimum age for consensual sex will continue to be eighteen years. If a woman complains that a man is looking at her with an evil eye or making some sexual gestures or indulging in voyeurism, then he can be put behind bars. Of course, the All-Party meeting did take a decision that this will be bailable offence if a man is accused of this offence for the first time but if does it again, it will be treated as a non-bailable offence.Perhaps such a law may not be existing anywhere in the world which is deemed committed without any evidence. Shall we take it that all the girls or women speak only the truth. There is no doubt that such offences are often committed against women for which the guilty persons much be punished but at the same time we should desist from making laws in which men may keep distance from women which could be more harmful to women than men.

I myself was holding a senior position in the Income Tax Department and it was always my intention to avoid accepinting them as my juniors. Once a woman was appointed on an important seat under me. For so many days, I did not allow her to join my section and tried my best to get her posted elsewhere.When I tried to locate a suitable male alternative for this post, I found that there was a great shortage of male persons to hold this position.Nearly after one month, I was constrained to accept her posting.Under no circumstances, I would compromise on work and the persons including female employees working under me had to put in their best. The atmosphere in the Department had become such that most of the male employees avoided working with their female counterparts.First of all, all women employees come late to office and in the winter season, they come to office with knitting material. While the closing time was 5.30 PM, most of the women employees were found leaving the office by 4 or 4.30 PM. Most of the male officers could not pick up the courage to tell women employees to observe office timings and maintain discipline for fear of being accused of some false charge.The other side of the situation is that male bosses exploit the female employees. It is also a reality that male employees commit more offences as compared to the women counterparts. Harshest possible law should be made to curb offences against women but it should also be ensured that the male-dominated society does not indirectly avoid women in all spheres of life. Already such a situation exists to some extent. In fields like industry, shops, institutions,Govt. offices, social and political areas, still there is dominance of men and to some extent, women are already being avoided but if the law as mentioned above is finally made, then there will certainly be discrimination against women as a result of which theey will be deprived of opporunties in employment, politics, education and business etc. We should avoid a situation in which on the one hand, we make laws for the empowerment of women and on the other hand create a situation which weakens their cause. In the Parliament, both Mulayam Singh Yadav and Sharad Yadav were bold enough to make their stand clear on this issue but most of the other leaders maintained double standards.

It is indeed admirable on the part of those young men and women, organizations and citizens who have taken the cause of Nirbhaya rape and murder. Had the energy and the force generated by this campaign been utilized in the right direction, the cause of the women empowerment would have got a great push. This campaign had targeted Police and the political class whereas no attention was paid to the age-old customs and the mind-set because of which the men-folk discriminates against women and treats them as adiscriminates against women and treats them as a mere consumer item. Judiciary is equally to blame for this situation but the campaigners did not target it. The problem cannot be solved only by making a harsh law but a change in the mind-set needs to be brought about. Was there any protest against the age-old state customs and meaningles festivals by the protesters? Was there any protest against the age-old belief to link sexual violence against women with her character? Why is this yard-stick not applicable to men. If the sexual violence of a woman's sex-organ is the yard stick of her character, why it is not so in the case of the sex-organ of a male. It is always a thief who is punished for a crime committed by him and not the person who is a victim of theft. But in the case of sex crimes, the situation is just the reverse and this has to be set right by the supporters of female empowerment.These supporters have of course got the courage and strength to condemn the police and the political class but they just bow their heads before the stale traditions, customs and mind-set.Women who undertake Karwachauth fast hjave no moral right to talk of women empowerment. Karwachauth is basically a festival of women to pray for a long life for the husband and to treat him as God but is there any such festival for men. Did anybody protest against those film scenes in which a rape scene is shown where a woman rape victim either commits suicide or is declared insane. Was the Media ever question which declares from roof tops about the loss of a character of a rape-victim? Have these organizations got the courage to say that rape-victims need not hang their heads in shame or hide their identity, rather they should face the society with

courage that the real culprit is the rape-accused who has committed this most abominable act. Did anybody ever ask the BJP President Sushma Swaraj as to why she said in the Indian Parliament that had Nirbhaya been alive, she would have been a live dead-body whereas she should have said that Nirbhaya should have come out boldly with her head high and the person who had committed the most heinous crime was indeed an alive dead body. Did these agencies ever burnt an effigy of the religious books, writings and stale old customs at Jantar Mantar which discriminate against women and treat them like a consumer item.

The agony of the rape incident is short-lived but for character-assassination, huimiliation and discrimination in socielty, our age-old rotten customs are mainly responsible. That is why the victim has to hide herself from the society and hanging her head in shame. Such sexual crimes are committed in other parts of the world but there it is neither linked to character assassination nor is there any compulsion to live in the society by hanging their heads in shame. In those countries, women have not only broken the shackles of rotten customs of the male dominated society but also took other bold steps like the burning of the bras, to become topless, etc. It does not mean what women should adopt similar course of action in India but some bold steps must be taken forcefully. So far, not a single women organization or a similar body struggling for women's equality and empowerment has perhaps raised their voice by saying that there is no need for a rape victim to hide herself from the society or hang her head in shame. In the beginning some people will have to take this bold step and then only this this type of sexual violence will be treated like any other violence and gradually it will be de-linked from social stigma and character-assassination.

The type of law that is going to be enacted for this type of offence and the trauma that a rape-victim has to undergo, will take women as vegetable and without any emotions. Frequently, news items appear

(Rest on Page-5...)

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com Computer typesetting by N. K. Karn